न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 13/2019

अन्वान :

विजय उर्फ विजेन्द्र पुत्र मांगेराम जाति यादव निवासी भोजासर तह0 भादरा जिला हनुमानगढ़

– वादी

बनाम

1. मांगेराम पुत्र हरिकिशन जाति यादव निवासी भोजासर तह0 भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. प्रदीप पुत्र पुत्र मांगेराम जाति यादव निवासी भोजासर तह0 भादरा जिला हनुमानगढ़
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सब रजिस्टार भादरा।

– प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट

वास्ते दुरूस्ती रिकार्ड

उपस्थिति : वकील श्री महेश बंसल : वादी

वकील श्री चरणसिंह पूनियां : प्रतिवादी सं0 1 व 2

निर्णय दिनांक : 03-2-2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि चक 6 वरानी के खाता स0 137/133 के मु0न0 102 के किला न0 11,12,19 ता 22, मु0न0 103 के किला न0 13 ता 18, 23,24,25, कुल किता 15 कुल 3.7950 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी स0 1 का 1/3 हिस्सा यानि 1.265 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, इसी प्रकार चक 2 बीएचडी के खाता स0 24/25 के मु0न0 23 के किला न0 16 ता 25, मु0न0 27 के किला न0 14, 15, 17, 20, 23, 24 25, मु0न0 28 के किला न0 1 ता 25, मु0न0 29 के किला न0 25, मु0न0 48 के किला न0 5, मु0न0 49 के किला न0 1 व 2, मु0न0 50 के किला न0 3 ता 8, 14,15 कुल खसरा 54 कुल क्षैत्रफल 13 2170 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी स0 1 की 2.636 है0 कृषि भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है इसी प्रकार चक 2एमएसआर के खाता स0 110/97 के मु0न0 26 के किला न0 23,24,25, मु0न0 27 के किला न0 21, मु0न0 30 के किला न0 1,9,10,1, मु0न0 31 के किला न0 3 ता 8, 13,14,15,18, मु0न0 53 के किला न0 14 ता 25, मु0न0 54 के किला न0 24,25, मु0न0 57 के किला न0 16,25, मु0न0 58 के किला न0 4 ता 7, किला न0 14 ता 25, मु0न0 59 के किला न0 1 ता 25, मु0न0 60 के किला न0 6 ता 25 कुल किता 95 कुल क्षैत्रफल 24.0350 है0 कृषि भूमि में प्रतिवादी स0 1 का 1/3 हिस्सा यानि 8.0116 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

पक्षकारान् दावा हिन्दु है तथा हिन्दु विधि व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होते है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादी विजय के पिता मांगेराम को विरासत में प्राप्त हुई है इसलिए उक्त भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिस्सा बराबर हक है चुंकि वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है इसलिए मांगेराम के हिस्सा कि कृषि भूमि में उसके वारीसान वादी व प्रतिवादी स0 2 का बहिस्सा बराबर का खातेदार कास्तकार है।

वाद भूमि कर्ता खानदान होने के कारण अकेले प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है। वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम बने रहने से वादी के हितो पर कुठाराघात

1।

उपखण्ड अधिकारी (भादरा)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

होता है इसलिए वादी यह घोषणा करवा पाने का कानूनी अधिकारी है कि वाद भूमि चक 6 बरानी में दर्ज प्रतिवादी स0 1 के 1/3 हिस्सा यानि 1.265 है0 में वादी 0.4216 है0 का प्रतिवादी स0 2 0.4216 है0 का खातेदार कास्तकार है के इसी प्रकार चक 2 बीएचडी की कृषि भूमि में प्रतिवादी स0 1 की 2.636 है0 कृषि भूमि में वादी 0.8786 है0 का, प्रतिवादी स0 2 0.8786 है0 का खातेदार कास्तकार है, इसी प्रकार चक 2 एमएसआर में दर्ज प्रतिवादी स0 1 के 1/3 हिस्सा यानि 8.0116 है0 में वादी 2.670 है0 का, प्रतिवादी स0 2 2.670 है0 कृषि भूमि के खातेदार कास्तकार है और इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी स0 1 की आयु लगभग 70 वर्ष हो चुकी है तथा व हद से ज्यादा शराब के नशे का आदि है जो शराब पीकर वादी को घर से निकाल देता है तथा घर का घरेलु सामान बेचकर शराब ले आता है और घर की हालत काफी खराब हो चुकी है। अब प्रतिवादी स0 1 ने धमकी दी है कि वह अब अपने नाम दर्ज पुस्तेनी कृषि भूमि को बेचान करेगा, यदि वह ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो वादी के अधिकारों पर कुठाराघात होगा और वादी अपने हक हिस्सा से वंचित हो जावेगा इसलिए वादी प्रतिवादी स0 1 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी भी है वह वाद भूमि को रहन बैय नही करें तथा मोका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

दावा में सब रजिस्टार को पक्षकार बनाया है जिसके विरूद्ध दावा लाने से पूर्व 80सीपीसी को नोटिस दिया जाना आवश्यक लेकिन यह दावा आवश्यक प्रकृति का है इसलिए बिना दो माह का नोटिस यह दावा पेश किया जा रहा है, जिसकी इजाजत के लिए अलग से प्रार्थना पत्र पेश है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 3 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 को वकील वादी ने तर्क किया।

साक्ष्य वादी में वादी विजय उर्फ विजेन्द्र पुत्र मांगेराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 6 बारानी 137/133 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 2, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 2 बीएचडी 24/25 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 3, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 2 एमएसआर 110/97 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 2 बीएचडी सम्वत् 2059 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 2 एमएसआर सम्वत् 2053 प्रदर्श 6, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 6 बारानी सम्वत् 2053 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि दावा के पक्षकारान वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 हिन्दु है तथा हिन्दु विधि व हिन्दु उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। दावा में वर्णित कृषि भूमि वादी विजय के पिता मांगेराम को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई है इसलिए उक्त भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिस्सा बराबर हक है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेत निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने चक 2 बीएचडी, 6 बारानी व 2 एमएसआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता से विरासतन में प्राप्त हुई है तथा वादी कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 2 बीएचडी सम्वत् 2059 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 2।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

2 एमएसआर सम्वत् 2053 प्रदर्श 6, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 6 बारानी सम्वत् 2053 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये है जिनमें वाद कृषि भूमि के खुबी वल्द कुम्भा से विरासतन मांगेराम के नाम दर्ज है तथा वादी ने अपने दावा के सजरा में मांगेराम पुत्र हरिकिशन, हरिकिशन पुत्र खुबी, खुबी पुत्र कुम्भा दर्शाया है। इस प्रकार वाद भूमि वादी के परदादा खुबी से विरासतन चली आ रही है, जिससे वाद कृषि भूमि मांगेराम को विरासतन प्राप्त होना व वाद कृषि भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में मांगेराम के वारिसान में पत्नी बिमला व दो पुत्र प्रदीप एवं विजय उर्फ विजेन्द्र होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 का आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है तथा मुताबिक राजीनामा ही पक्षकारान के वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया है तथा प्रतिवादी सं0 3 पेरोकार राज ने भी वादी के दावा का कोई खण्डन पेश नहीं किया है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 6 बरानी के खाता स0 137/133 के मु0न0 102 के किला न0 11, 12, 19 ता 22, मु0न0 103 के किला न0 13 ता 18, 23, 24, 25, कुल किता 15 कुल 3.7950 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी स0 1 का 1/3 हिस्सा यानि 1.265 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, इसी प्रकार चक 2 बीएचडी के खाता स0 24/25 के मु0न0 23 के किला न0 16 ता 25, मु0न0 27 के किला न0 14, 15, 17, 20, 23, 24, 25, मु0न0 28 के किला न0 1 ता 25, मु0न0 29 के किला न0 25, मु0न0 48 के किला न0 5, मु0न0 49 के किला न0 1 व 2, मु0न0 50 के किला न0 3 ता 8, 14, 15 कुल खसरा 54 कुल क्षैत्रफल 13.2170 हैक्टैयर खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी स0 1 की 2.636 है0 कृषि भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है, इसी प्रकार चक 2एमएसआर के खाता स0 110/97 के मु0न0 26 के किला न0 23, 24, 25, मु0न0 27 के किला न0 21, मु0न0 30 के किला न0 1, 9, 10, 11, मु0न0 31 के किला न0 3 ता 8, 13, 14, 15, 18, मु0न0 53 के किला न0 14 ता 25, मु0न0 54 के किला न0 24, 25, मु0न0 57 के किला न0 16, 25, मु0न0 58 के किला न0 4 ता 7, किला न0 14 ता 25, मु0न0 59 के किला न0 1 ता 25, मु0न0 60 के किला न0 6 ता 25 कुल किता 95 कुल क्षैत्रफल 24.0350 है0 कृषि भूमि में प्रतिवादी स0 1 का 1/3 हिस्सा यानि 8.0116 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रतिवादी सं0 1 मांगेराम के बजाय चक 6 बारानी के खाता सं0 137/133 में मांगेराम के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा में वादी विजय उर्फ विजेन्द्र व प्रतिवादी सं0 1 मांगेराम व प्रतिवादी सं0 2 प्रदीप तीनों बहिस्सा बराबर व चक 2 बीएचडी के खाता सं0 24/25 की 2.636 है में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा में वादी विजय उर्फ विजेन्द्र व प्रतिवादी सं0 1 मांगेराम एंव प्रतिवादी सं0 2 प्रदीप तीनों बहिस्सा बराबर व इसी प्रकार चक 2 एमएसआर के खाता सं0 110/97 में प्रतिवादी सं0 1 मांगेराम के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा कृषि भूमि में वादी विजय उर्फ विजेन्द्र व प्रतिवादी सं0 1 मांगेराम व प्रतिवादी सं0 2 प्रदीप तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम तीनों चकों की वादगत कृषि भूमि बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03-02-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

(मुकेश बारेठ)
R.A.S.
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 13/2019

अनवान :

विजय उर्फ विजेन्द्र पुत्र मांगेराम जाति यादव निवासी भोजासर तह0 भादरा जिला हनुमानगढ़

– वादी

बनाम

1. मांगेराम पुत्र हरिकिशन जाति यादव निवासी भोजासर तह0 भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. प्रदीप पुत्र पुत्र मांगेराम जाति यादव निवासी भोजासर तह0 भादरा जिला हनुमानगढ़
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सब रजिस्टार भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री महेश बंसल एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 श्री चरणसिंह पूनियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 6 बरानी के खाता स0 137/133 के मु0न0 102 के किला न0 11, 12, 19 ता 22, मु0न0 103 के किला न0 13 ता 18, 23, 24, 25, कुल किता 15 कुल 3.7950 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी स0 1 का 1/3 हिस्सा यानि 1.265 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, इसी प्रकार चक 2 बीएचडी के खाता स0 24/25 के मु0न0 23 के किला न0 16 ता 25, मु0न0 27 के किला न0 14, 15, 17, 20, 23, 24, 25, मु0न0 28 के किला न0 1 ता 25, मु0न0 29 के किला न0 25, मु0न0 48 के किला न0 5, मु0न0 49 के किला न0 1 व 2, मु0न0 50 के किला न0 3 ता 8, 14, 15 कुल खसरा 54 कुल क्षैत्रफल 13.2170 हैक्टैयर खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी स0 1 की 2.636 है0 कृषि भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है, इसी प्रकार चक 2एमएसआर के खाता स0 110/97 के मु0न0 26 के किला न0 23, 24, 25, मु0न0 27 के किला न0 21, मु0न0 30 के किला न0 1, 9, 10, 11, मु0न0 31 के किला न0 3 ता 8, 13, 14, 15, 18, मु0न0 53 के किला न0 14 ता 25, मु0न0 54 के किला न0 24, 25, मु0न0 57 के किला न0 16, 25, मु0न0 58 के किला न0 4 ता 7, किला न0 14 ता 25, मु0न0 59 के किला न0 1 ता 25, मु0न0 60 के किला न0 6 ता 25 कुल किता 95 कुल क्षैत्रफल 24.0350 है0 कृषि भूमि में प्रतिवादी स0 1 का 1/3 हिस्सा यानि 8.0116 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रतिवादी सं0 1 मांगेराम के बजाय चक 6 बारानी के खाता सं0 137/133 में मांगेराम के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा में वादी विजय उर्फ विजेन्द्र व प्रतिवादी सं0 1 मांगेराम व प्रतिवादी सं0 2 प्रदीप तीनों बहिस्सा बराबर व चक 2 बीएचडी के खाता सं0 24/25 की 2.636 है में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा में वादी विजय उर्फ विजेन्द्र व प्रतिवादी सं0 1 मांगेराम एंव प्रतिवादी सं0 2 प्रदीप तीनों बहिस्सा बराबर व इसी प्रकार चक 2 एमएसआर के खाता सं0 110/97 में प्रतिवादी सं0 1 मांगेराम के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा कृषि भूमि में वादी विजय उर्फ विजेन्द्र व प्रतिवादी सं0 1 मांगेराम व प्रतिवादी सं0 2 प्रदीप तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम तीनों चकों की वादगत कृषि भूमि बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.16 13:27:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: